न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 61 / 2025 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर–2025 / 148

उनवान

1. श्री अर्जुनसिंह पुत्र नाथुसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग, निवासी चौहानों का खण्डेला तहसील झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

– वादी

बनाम

1. श्री धुलाजी पिता मोहब्बत सिह जी राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री गजेन्द्रसिंह पिता धुलसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
3. श्रीमती माया कुंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
4. श्रीमती तुलसी कुंवर पत्नी धुलसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
   निवासीयान चौहानो का खण्डेला तहसील झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक 29/04/26

उपस्थितः श्री संजय मेहता अधिवक्ता – वादी
प्रतिवादीगण – एक पक्षीय

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। वादी का वाद संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि वादी के खातेदारी स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि जो वर्तमान में मौझा चौहानों का खण्डेला पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर की खाता सं. 5 नया व 5 पुराना स्थित है जिसमें आराजी नम्बर 552 रकबा 0.1500 हेक्टर एवं आराजी नम्बर 794 / 551 रकबा 0.1200 कुल किता 2 रकबा 0.2700 हेक्टर भूमि वादी के एकमात्र खातेदार कब्जे काश्त चली आ रही है तथा राजस्व शुल्क भी नियमानुसार जमा करवाता आ रहा है।

वादी को 2–3 वर्ष से उपरोक्त प्रतिवादीगण आये दिन परेशान करते आ रहे है थोडी– थोडी करके वादी की उक्त कृषि भूमि को हकाई कर व बाड करके अपनी कृषि भूमि में मिलाते आ रहे है, जिस पर कई मर्तबा समझाईश की गई जिससे कुछ समय ठीक रहा परन्तु वापस वहीं तरीका व लडाई झगडा करना प्रारम्भ कर दिया। पिछले 2 महीने पहले जब वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर बार बार विवाद के कारण सीमा ज्ञान के लिये हल्का पटवारी साहब को मोके पर ले गई तब हल्का पटवारी ने भी सीमा बताई लेकिन विपक्षीगण मानने को तैयार नहीं होकर अपने बाहुबल व धनबल से वादी की उपरोक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा प्रतिवादीगण वादी के साथ गाली गलौच करने लगे व कहने लगे कि तुम्हारी कोई यहां पर जमीन नहीं है यहां से चला जा

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वरना तुझे व तेरे पुरे परिवार को इसी जमीन में दफन कर देंगे, जिस पर वादीडर गया व अपने ही खेतो से वापस आ गया तब उक्त सारी घटना अपने परिजन को बताई तो उन्होंने व गांव के मौतबीरों को बताया व गांव वालो ने प्रतिवादीगण को समझाईश भी की लेकिन प्रतिवादीगण गांव के मौतबीरो की भी नहीं सुनने से तभी से कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है तथा उसके बाद से प्रतिदिन जारी है। वादपत्र में वर्णित प्रतिवादीगण वादी के पडोसी खातेदार होकर इनकी आराजीयात की सीमा से लगकर वादी की वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी है तथा प्रतिवादीगण ने वादी को अपने ही खेतो में प्रवेश करने से रोकने से यह वाद बाबत् अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के लिये पेश किया है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि –

(अ) कि वादीध्प्रार्थी की मौझा चौहानों का खण्डेला पटवार हल्का झल्लारा में स्थित वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 552 व 794 / 551 से प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं होने से अविलम्ब उन्हें बेदखल कर उनके कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करा पुनः वादी को अपनी खातेदारी भूमि को सिपुर्द कराये जाने की आज्ञाप्ति फरमावे।

(ब) कि वादी की वाद पत्र में वर्णित कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादीगण से अतिक्रमण मुक्त करा वादी को काबिज करा देने के बाद पुनः जोर जबरदस्ती अतिक्रमण नही करे का प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में पाबन्द कराने की आज्ञाप्ति फरमावे।

(स) कि अन्य कोई दाद जो वादी के पक्ष में हो वह प्रतिवादीगणों से दिलाये जाने की आज्ञाप्ति फरमावे।

वादपत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण कों तलवी हेतु वादपत्र की प्रति के साथ समन जारी किया गया। आदेशिका दिनांक 11–02–2026 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेश मीणा ने हाजिर होकर प्रतिवादीगण की ओर से आगामी पेशी पर जवाब एवं वकालतनामा पेश करने हेतु अन्डरटेकिग दि गई जिस हेतु न्यायालय द्वारा उन्हे न्यायाहित मे अवसर प्रदान किया गया। आदेशिका दिनांक 18–02–2026 प्रतिवादीगण के गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफएक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी द्वारा अपने पक्ष में पी.डब्ल्यु–1 अर्जुन सिंह का शपथपत्रीय बयान प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 5 की प्रमाणित प्रति, प्रतिवादी की तामील प्रदर्श –2 एवं एवं नक्शा ट्रेस की फोटो कोपि न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादीगण न तो न्यायालय मे हाजिर आये न ही कोई जवाब पेश किया। पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबंदी प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वादी उक्त भूमि का खातेदार है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे एवं वाद पत्र के खण्डन मे कोई जवाब एवं साक्ष्य पेश नही किये।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों द्वारा विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर वादी के विधिक कब्जे में हस्तक्षेप किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी के खातेदारी आराजी नम्बर 552 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 794 / 551 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.27 हैक्टेयर मौजा चौहानो का खण्डेला पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी की उक्त आराजीयात की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विधिवत सीमांकन कर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने का ओदश दिया जाता है।

प्रतिवादीगण को भविष्य में उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा अतिक्रमण से स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम किया जाकर। पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्तर हों।

निर्णय दिनांक 29/04/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 61 / 2025 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2025 / 148

उनवान

1. श्री अर्जुनसिंह पुत्र नाथुसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग, निवासी चौहानों का खण्डेला तहसील झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

— वादी

बनाम

1. श्री धुलाजी पिता मोहब्बत सिह जी राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री गजेन्द्रसिंह पिता धुलसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
3. श्रीमती माया कुंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
4. श्रीमती तुलसी कुंवर पत्नी धुलसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग

निवासीयान चौहानो का खण्डेला तहसील झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांकः 29/04/26

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री संजय मेहता एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 29/04/26 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि वादी के खातेदारी आराजी नम्बर 552 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 794 / 551 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.27 हैक्टेयर मौजा चौहानो का खण्डेला पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी की उक्त आराजीयात की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विधिवत सीमांकन कर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने का ओदश दिया जाता है।

प्रतिवादीगण को भविष्य में उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा अतिक्रमण से स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 29/04/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर
जिला सलूम्बर